उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 08 चैत्र, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 28 मार्च, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन), अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखेंगे।

2. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखेंगे।

3. प्रमुख सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तराखण्ड विनियोग (2011-2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का अठारहवां अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

   (3) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का बीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(5) पं० दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

8. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"क"**)

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

10. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी :-

"यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ख"**)

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

11. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2012-2013 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे।

12. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 28 मार्च, 2012

नत्थी "क"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2012 की बैठक में दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2012 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2012
28 (बुधवार)

1. सदन के समक्ष रखे जाने वाले पत्रादि का पटल पर रखा जाना।
2. वित्तीय वर्ष 2012–2013 के एक भाग के लिए लेखानुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण। (04:00 बजे)
3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा।

मार्च, 2012
29 (गुरूवार)

1. विधायी कार्य
2. वित्तीय वर्ष 2012–2013 के एक भाग के लिए लेखानुदान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं पारण।
3. वित्तीय वर्ष 2012–2013 के एक भाग के लेखानुदान के लिए विनियोग विधेयक की पुरःस्थापना, विचार एवं पारण।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ख"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री हरबन्स कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में समयबद्ध तरीके से सभी शिक्षकों की भर्ती किये जाने तथा सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने,
2. प्रदेश के सभी अशासकीय विद्यालयों का समयबद्ध तरीके से प्रांतीयकरण किये जाने तथा विद्यालयों में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों को नियमित किये जाने तथा सभी विद्यालयों को समयसीमा के अन्तर्गत अनुदान सूची में लाने,
3. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से देहरादून हरिद्वार एवं ऋषिकेश से सम्बंधित महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने हेतु देहरादून या हरिद्वार जनपद में नया विश्वविद्यालय खोलने,
4. राज्य के प्रत्येक जिले के न्यायालयों में फर्नीचर पेयजल एंव सुलभ शौचालय सुसज्जित, वादकारी कक्ष या शेड निर्माण करने तथा प्रत्येक बार कक्षों में अत्याधुनिक पुस्तकालय खोलने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने,
5. प्रदेश की सभी विधवा एंव परित्यक्त महिलाओं को महिला पेंशन उपलब्ध कराये जाने,
6. प्रदेश के 60 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके वृद्धावस्था पेंशन एंव विकलांगो को विकलांग पेंशन दिये जाने,
7. प्रदेश के सभी सभासदों, पार्षदों तथा ग्राम प्रधानों को विधायकों एंव सांसदों की तर्ज पर मानदेय दिये जाने,

8. विधान सभा भवन के लिए भू खण्ड चिन्हित कर विधान सभा भवन का निर्माण किये जाने,
9. देहरादून शहर हरिद्वार, हल्द्वानी की बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में यातायात को सुविधा जनक बनाने हेतु मोनो रेल का निर्माण किये जाने,
10. राज्य के महानगरों में यातायात सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार रेजड सड़कों का निर्माण किये जाने,
11. राज्य के प्रमुख नगरों में सुलभ शौचालय सार्वजनिक पुस्तकालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने,
12. देहरादून में एशियन डेवलप्मेंट बैंक एंव जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बिछाई जा रही सीवर लाइनों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्ध तरीके से नई सड़के बनाये जाने,
13. देहरादून की जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने,
14. राज्य के मुख्य मार्गो पर सुलभ शौचालयों का निर्माण किये जाने,
15. राज्य के सभी शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
16. राज्य के देहरादून सहित सभी प्रमुख शहरों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु योजना बनाने एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु नगर-निकायों में मानको के अनुरूप सफाई कर्मचारियों की भर्ती किये जाने,
17. राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से पलायन की समस्या को देखते हुए, क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों एंव कच्चे माल पर प्रदूषण मुक्त कुटीर, लघु उद्योगो की स्थापना किये जाने,
18. राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति बनाये रखने,
19. राज्य के सभी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किये जाने,
20. राज्य के सभी शिक्षित एंव अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने, योग्यता अनुरूप ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने एवं रोजगार उपलब्ध न होने तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
21. देहरादून सहित सभी प्रमुख नगरों की मलिन बस्तियों को नियमित किये जाने,
22. राज्य के सभी जनपदों मे कम से कम एक मेडिकल कालेज एंव उच्च श्रेणी का तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले जाने,
23. शिक्षा के अधिकार के सफल एंव प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने,

24. उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी की गढ़वाली एंव कुमाउनी भाषाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अकादमियों की स्थापना हेतु योजना बनाये जाने,

25. चार धामों की तर्ज पर नानकमत्ता साहिब, रीठा साहिब तथा देहरादून के प्रसिद्ध झण्डा मेला हेतु योजना बनाये जाने,

26. पर्यटन विकास हेतु यातायात (ट्रैवल्स) के विकास की कोई योजना बनाये जाने, अच्छे वाहन,प्रशिक्षित चालक तथा दुर्घटना विहीन यात्रा के लिए योजना बनाये जाने,

27. पूर्व में निर्मित तथा निर्माणाधीन रज्जू मार्गो के विकास या सुदृढ़ीकरण की योजना बनाये जाने,

28. सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव में पेट्रोल व डीजल पर वैट समाप्त करने के वायदे को पूरा किये जाने,

29. व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण एवं इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के उपाय किये जाने,

30. पूर्व सरकार द्वारा पारित लोकायुक्त बिल को आगे बढ़ाने, सिटिजन चार्टर एवं व्हिसिल ब्लोअर की सुरक्षा किये जाने,

31. पूर्व सरकार द्वारा गठित नये जिलो की प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने,

32. पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को दिये गये विशेष राज्य का दर्जा तथा विशेष औद्योगिक पैकेज को केन्द्र सरकार से बहाल करवाने तथा विशेष राज्य के दर्जे के अनुरूप 90:10 के अनुपात में सहायता दिये जाने तथा

33. उत्तराखण्ड की स्थाई राजधानी की घोषणा किये जाने के संबंध में।"

2. श्री हरभजन सिंह चीमा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर को जिला घोषित किये जाने,

2. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पालिका काशीपुर को नगर निगम बनाये जाने,

3. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर की पेयजल के प्रति गिरीताल पेयजल योजना हेतु धन अवमुक्त किये जाने,

4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र काशीपुर हेतु 5000 विद्युत पोलों व 25, 63, 100 तथा 250 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मरों की पूर्ति किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र काशीपुर की जल भराव की समस्या का समाधान किये जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर के द्रोणा सागर एवं गिरीताल तीर्थ स्थलों के विकास हेतु 5 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जाने व चारधाम यात्रा की सुविधाओं से जोड़े जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर की विद्युत आपूर्ति 24 घंटे किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर नगर पालिका क्षेत्र का नवीकरण किये जाने तथा
9. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की ढेला नदी से भूमि कटाव का समाधान किये जाने के संबंध में।"

3. श्री संजय गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत 34 लक्सर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से भूमि कटाव रोकने हेतु ग्राम कबूलपुर-रायछटी में 100X 20 मीटर तटबन्ध का निर्माण किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कुड़ी भगवानपुर रेलवे फाटक से बहादराबाद केवलपुरी रणजीतपुर होते हुए कबूलपुर-रायछटी तक सड़क का निर्माण करने,
3. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सीधडू से ऐथल बुजुर्ग पंथरी नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के लक्सर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम जैतपुर से मुंडाखेड़ा कलां तक सड़क का निर्माण किये जाने तथा
5. जनपद हरिद्वार के लक्सर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम ओसपुर से ग्राम दरगाहपुर बांण गंगा पर रपटे (पुल) का निर्माण किये जाने के संबंध में।"

4. स्वामी यतीश्वरानन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार ग्रामीण में हाथियों के नुकसान को रोकने हेतु व्यवस्था किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार में खनन का कार्य खोले जाने,
3. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में यातायात की समुचित व्यवस्था का प्रावधान किये जाने,
4. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लालढांग से मीठीबेरी तक पुल निर्माण किये जाने,
5. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कांगड़ी गांव से लेकर बारपीली तक सड़क बनाये जाने,
6. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लालढांग पंचायत को ब्लाक का दर्जा दिये जाने,
7. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लालढांग में एक डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
8. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कालोनियों में सड़कों की हालत सुधारे जाने,
9. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने तथा
10. हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा नष्ट किये गये फसल पर मुआवजे के राशि को 5 गुना किये जाने के संबंध में।"

5. श्री बिशन सिंह चुफाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए लघु कुटीर उद्योग की स्थापना किये जाने,
2. उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक पैकेज को बढ़ाये जाने हेतु केन्द्र से मांग किये जाने,
3. उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबन्धित सिविल व बंजर भूमि में निर्माण कार्य कराये जाने,
4. उत्तराखण्ड राज्य के अति दुर्गम स्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अलग से नीति बनाये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गर्खा में लिफ्ट पेयजल योजना की स्थापना किये जाने,

6. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत कनालीछीना में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,

7. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत गैड़ीहाट में आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने,

8. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट क्षेत्रान्तर्गत मुवानी में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,

9. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम सौगांव ताड़ीखेत के पास झूलापुल का निर्माण किये जाने,

10. जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने,

11. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चौबाटी से बरम बवकुड़ी तक सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,

12. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत मुवानी से मगरौली तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

13. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अणागांव से पातली गांव तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

14. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत भागीचौरा पसमा सड़क को हन्तेश्वर तक जोड़े जाने,

15. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत देवलथल बमडोली तक सड़क का डामरीकरण किये जाने,

16. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत तड़ीगांव से मसमोली तक सड़क मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

17. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत जुनियर हाईस्कूल भनड़ा का उच्चीकरण किये जाने,

18. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत हाईस्कूल भातड़ का प्रान्तीकरण किये जाने,

19. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल हरडीखाल का प्रान्तीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने,

20. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत पलेटा से घ्वज तक रोपवे का निर्माण किये जाने,

21. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चौबाटी से अठलगांव तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने तथा

22. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत रा0उ0मा0विद्यालय लेखधार का उच्चीकरण किये जाने के संबंध में।"

6. श्री पुष्कर सिंह धामी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में भूमि विवादों का समाधान किये जाने,

2. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में यातायात को सुचारू करने हेतु बाईपास का निर्माण किये जाने,

3. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में निमार्णधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रगति लाने और अस्पताल में डाक्टरों की व्यवस्था किये जाने,

4. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में रोडवेज बस स्टेशन की स्थापना किये जाने,

5. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों एवं युवाओं हेतु स्पोटर्स कालेज एवं स्टेडियम का निर्माण किये जाने,

6. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में राज्य अन्दोलन के समय सितम्बर 1994 मे हुए गोलीकाण्ड के अन्दोलनकारियो का प्रमाणपत्र एवं चिन्हीकरण न किये जाने,

7. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में चकरपुर बगिया घाट मार्ग की मरम्मत किये जाने,

8. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में बिगराबाग पुलिया से चकरपुर मार्ग का चौडीकरण एवं मरम्मत किये जाने,

9. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर के सत्रह (17) मील को जोड़ने वाला लिंक मार्ग पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने,

10. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा के सीमान्त मेलाघाट क्षेत्र जगबुड़ा नदी से भू कटान रोकने,

11. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में बग्गा चौवन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित कर सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने,

12. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में एक पुस्तकालय एवं खटीमा महाविद्यालय में कामर्स सहित अन्य कोर्स आरम्भ किये जाने,
13. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में पोलिटेक्निक एवं आई0टी0आई खोले जाने,
14. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा शहर में नालियों का निर्माण तथा नालियों की सफाई कराये जाने,
15. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा शहर को सुचारू रूप से जल आपूर्ति हेतु तत्काल जनरेटर को उपलब्ध कराये जाने,
16. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में लगे इण्डिया मार्क हैण्ड पम्पों की देख-रेख के लिए अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा
17. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में नगरपालिका के विस्तारीकरण (सीमा बढ़ाने) हेतु आवश्यक कार्य किये जाने के संबंध में।"

7\. श्री प्रेम सिंह राणा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में नानकमत्ता राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
2. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड मुख्यालय की स्थापना किये जाने,
3. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय की स्थापना किये जाने,
4. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
5. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने
6. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में खेल हेतु स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
7. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय खटीमा में कला भवन की स्थापना किये जाने,
8. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में थारु विकास भवन की स्थापना किये जाने,

9. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में सिख जाति हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना किये जाने,
10. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में नानकमत्ता ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिये जाने,
11. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में आवासित बंगाली समुदाय के लोगों को सिंचाई विभाग की भूमि में आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाये जाने,
12. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय बलखेड़ा को इण्टरमीडिएट कालेज में उच्चीकरण किये जाने,
13. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल गोबिन्दपुर को माध्यमिक विद्यालय में उच्चीकृत किये जाने,
14. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम लामाखेड़ा से पहसेनी सम्पर्क मार्ग के खकरा नाला में पुल का निर्माण कराये जाने,
15. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐंचता की निहाई नदी का खुदान एवं पिचिंग किये जाने,
16. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ऐंचता से ज्ञानपुर गौढ़ी तक पुलियों एवं कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
17. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरकीडांडी पीपल गोला नाला में पुल निर्माण किये जाने,
18. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐंचता को राजकीय इण्टर कालेज में उच्चीकरण किये जाने,
19. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम साधूनगर से सिडकुल को जोड़ने हेतु कैलाश नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
20. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऊंचीमहुवट समथना नाला पर पुल निर्माण किये जाने,
21. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय को वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी माफी (अनुदान) में उपलब्ध कराये जाने,

9. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में सिख जाति हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना किये जाने,
10. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में नानकमत्ता ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिये जाने,
11. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में आवासित बंगाली समुदाय के लोगों को सिंचाई विभाग की भूमि में आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाये जाने,
12. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय बलखेड़ा को इण्टरमीडिएट कालेज में उच्चीकरण किये जाने,
13. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल गोबिन्दपुर को माध्यमिक विद्यालय में उच्चीकृत किये जाने,
14. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम लामाखेड़ा से पहसेनी सम्पर्क मार्ग के खकरा नाला में पुल का निर्माण कराये जाने,
15. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐंचता की निहाई नदी का खुदान एवं पिचिंग किये जाने,
16. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ऐंचता से ज्ञानपुर गौढ़ी तक पुलियों एवं कच्ची सड़क का डामरीकरण किये जाने,
17. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरकीडांडी पीपल गोला नाला में पुल निर्माण किये जाने,
18. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐंचता को राजकीय इण्टर कालेज में उच्चीकरण किये जाने,
19. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम साधूनगर से सिडकुल को जोड़ने हेतु कैलाश नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
20. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऊंचीमहुवट समथना नाला पर पुल निर्माण किये जाने,
21. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय को वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी माफी (अनुदान) में उपलब्ध कराये जाने,

22. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुडेली से भिलइया तक 10 कि0मी0 नाला का खुदान एवं रपटा का निर्माण किये जाने,

23. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पिपलिया पिस्तौर से सिद्धा की पुलिया तक सड़क का डामरीकरण किये जाने,

24. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पहेनिया में हरदीप की चक्की से बानूसी गुरूद्वारा तक डामरीकरण किये जाने,

25. नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहीद बहादुर सिंह धामी नहर न0-1 के पास पुलिया निर्माण किये जाने,

26. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र में ग्राम खमरिया बिशन सिंह के घर के पास से आमखेड़ा ग्राम तक सड़क डामरीकरण किये जाने,

27. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम साधूनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किये जाने,

28. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम साधूनगर से नलई तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,

29. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बलखेड़ा, डियूढ़ी पुल, सड़क निर्माण किये जाने,

30. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सरोजा से बेलखेड़ा तक सड़क का डामरीकरण एवं पुलिया का निर्माण किये जाने,

31. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवहा नदी में टुकड़ी,बिचवा, खमरिया एवं कैलाश नदी में साधूनगर डोहरी बिष्टी में बाढ़ को नियन्त्रित करने हेतु तटबन्ध निर्माण किये जाने,

32. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बलखेड़ा से ग्राम डियूढ़ी तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण व पुल का निर्माण किये जाने,

33. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम साधु नगर में जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

34. उत्तराखण्ड में पंजाब की तर्ज पर किसानों के उत्पाद के क्रय की व्यवस्था करने,

35. उत्तराखण्ड में किसानों की ऋण माफी की व्यवस्था किये जाने,

36. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रनसाली को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,

37. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिचवा से भूड़झाला तक सड़क का निर्माण किये जाने,

38. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम देवकली से देवकली ठेरा जाने हेतु खकरा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

39. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ऐंचितां में सिंचाई विभाग एवं वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों को आवासीय पट्टा आवंटित किये जाने तथा

40. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिचुवा में गुरूद्वारा से वन विभाग की चौकी तक सड़क का डामरीकरण किये जाने के संबंध में।"

8. श्री चन्द्रशेखर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के बुग्गावाला ग्राम में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में सिंचाई हेतु कृषि फार्मो को नलकूपों से जोड़े जाने,
3. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत गतवर्ष दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुए रपटे, पुलिया, छोटे पुलो को पुनः निर्माण किये जाने,

4. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में जंगल से सटे गांव की जनता को जंगली जानवरो से उनकी कृषि फसल व जान की सुरक्षा किये जाने,

5. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर की सड़को की मरम्मत किये जाने,

6. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर की बिजली की समस्या सुधारने हेतु पुराने ट्रांसफार्मर खम्बे व तारें बदले जाने,

7. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में पेयजल की समस्या का निदान करने हेतु पर्याप्त मात्रा में हैण्ड पम्प लगाये जाने,

8. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विवाह सहायता हेतु धन समय पर पात्र व्यक्तियों को वितरित किये जाने,

9. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को अनु सूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजाति छात्र छात्राओं को समय पर दिये जाने तथा

10. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में क्षेत्रीय जनता को स्वरोजगार मजदूरी व उचित रायल्टी हेतु खनन/पट्टे जारी किये जाने के संबंध में।"

9. श्री सहदेव सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा होरावाला में कोट नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

2. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सभावाला मुख्य मोटर मार्ग कि0मी0 27 में पुल निर्माण किये जाने,

3. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के मानक सिंह मन्दिर कडवापानी गेस्ट हाउस सम्पर्क मार्ग के निर्माण किये जाने,

4. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम कांसवाली कोठड़ी मालूडूग जलाशय का निर्माण किये जाने,

5. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के डूंगा से पट्टी मिश्रराज तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने,

6. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के सेन्ट्रल होपटाउन सेलाकुई को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने,

7. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के नंदा चौकी से चौकी तक सड़क का डामरीकरण किये जाने,

8. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम बिरोही से बादशाही बाग सलियावाला तक सड़क निर्माण किये जाने,

9. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा गुजराड़ा करनपुर में पेयजल नलकूप निर्माण किये जाने,

10. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा जस्सोवाला में बाढ़ सुरक्षा तटबन्ध निर्माण किये जाने,

11. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम बडोवाला गोरखपुर में मुख्य मार्ग शिमला रोड़ से पंकज ठकुर बस्ती सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम बड़ोवाला हरिजन बस्ती मुख्य मार्ग शिमला रोड़ खेम सिंह कण्डारी मार्ग निर्माण किये जाने,

12. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा आनवाला में सिंचाई नलकूप निर्माण किये जाने,

13. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा राजावाला भद्रकाली सड़क निर्माण किये जाने,

14. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा सेन्ट्रल हाफटाउन में इण्टर कालेज के भवन का निर्माण किये जाने,

15. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा सेन्ट्रल हाफटाउन में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,

16. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्रामसभा आरकेडियाग्रान्ट में कैलाशपुर अमर भारती सम्पर्क मार्ग निर्माण किये जाने,

17. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सिहनी वाला शिवालिक इंजीनियरिंग कालेज से आसन पुल चकराता सड़क सम्पर्क मार्ग निर्माण किये जाने,

18. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम जस्सोवाला हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

19. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सभावाला आसन नदी पुल सहसपुर सम्पर्क मार्ग को पक्का किये जाने,

20. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के झाझरा आई0टी0आई0टी0आई0 विद्यालय से परवल होकर टी0एच0डी0सी0 कालोनी सम्पर्क मार्ग 2 कि0मी0 को पक्का किये जाने,

21. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के मुख्य मार्ग शहीद गजेन्द्र बिष्ट मार्ग शिमला रोड कि0मी0 17 से 34 तक मार्ग पर पैच वर्क किये जाने,

22. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सभावाला इण्टर कालेज भवन निर्माण किये जाने,

23. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम बनियावाला राजकीय हाईस्कूल की चारदीवारी निर्माण किये जाने तथा

24. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम मटकमाजरी कुंजाग्रान्ट कुल्हाल दैवीय आपदा ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा निर्माण किये जाने के संबंध में।"

10. श्री किरन चन्द्र मण्डल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र के शक्तिफार्म क्षेत्र में वर्ग 8 की आवंटित भूमि को वर्ग-1क में परिवर्तित कर भूमिधरी अधिकार दिये जाने,
2. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र के सिरसा मोड़ हाईवे से शक्तिफार्म होते हुये 23 कि0मी0 जीर्णशीर्ण मार्ग का चौड़ीकरण, निर्माण एवं पुल का निर्माण सहित सिड़कुल तक जोड़े जाने,
3. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र के शक्तिफार्म लगभग एक लाख आबादी वाले क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सालय का उच्चीकरण किये जाने,
4. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र के सितारगंज शहर में डिग्री कालेज का निर्माण किये जाने,
5. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में शक्तिफार्म व सितारगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबन्ध बनाये जाने,
6. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र के सितारगंज व शक्तिफार्म में सरकारी बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में किराये के मकान में संचालित शक्तिफार्म के पालिटेक्निक कालेज के लिये स्थान की व्यवस्था किये जाने,

8. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में आई०टी०आई० कालेज का निर्माण किये जाने,
9. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम गोबिन्दनगर से सितारगंज तक सड़क की मरम्मत किये जाने,
10. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में गोबिन्दनगर के सूखी नदी पर तटबन्ध बनाये जाने,
11. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र के रुदपुर ग्रामसभा में बाढ़ प्रभावित परिवारों को जमीन दिलाये जाने तथा
12. जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज विधान सभा क्षेत्र के वरागर मोड़ से तिलियापुर तक रास्ते की मरम्मत किये जाने के संबंध में।"

11. श्री दान सिंह भण्डारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलाकाण्डा डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
2. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में रामगढ़ एवं धारी विकास खण्ड के मध्य इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने,
3. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल को पर्यटन स्थल में विकसित किये जाने,
4. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत अधूरी पड़ी सड़कों का शीघ्र डामरीकरण किये जाने,
5. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत हाईस्कूलों का शीघ्र उच्चीकरण किये जाने,
6. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत गतवर्ष आपदा में क्षतिग्रस्त पुलिया आदि का निर्माण किये जाने,
7. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़, भीमताल लिफ्ट पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने तथा
8. जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विगत वर्षों के दौरान उच्चीकृत हाई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती किये जाने के संबंध में।"

12. श्री तीरथ सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत भैरोगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना ब्लाक द्वारीखाल का उल्लेख किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल पम्पिंग पेयजल योजना का उल्लेख किये जाने,
3. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के स्थानीय बेरोजगारों को पर्यटन में रोजगार के साधन उपलब्ध किये जाने,
4. उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नीति का स्पष्ट उल्लेख किये जाने,
5. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर एवं फार्मासिष्टों की नियुक्ति किये जाने,
6. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत नयी सड़को का निर्माण एवं डामरीकरण किये जाने तथा
7. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत स्थापित मत्स्य प्रजनन केन्द्र संचालित किये जाने। के संबंध में।"

13. श्री महावीर सिंह रांगड़

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के ज्वारना बगियाल मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण किये जाने,
2. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के सावली मैण्डलखाल मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण किये जाने,
3. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के क्यारी –सुरकण्डामाता – मसरास मोटर मार्ग स्वीकृति किये जाने,
4. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के लालोरी – कोटी – मेहरूकी मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण किये जाने,
5. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में बनाली से नागणी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

6. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में घोन से क्यारदा - वल्ली अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
7. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में भवान से गोरण मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
8. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के बिन्दोली पुल से डांडाकीवेली - धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
9. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के कैम्पटी - थत्यूड़ मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण किये जाने,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में खाड़गांव से भूत्सी अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
11. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में खेड़ा तल्ला से खेड़ा मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
12. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में मसराणा से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
13. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में थत्यूड़ से बंगसिल मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
14. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में थत्यूड़ से मुंगलोड़ी अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
15. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में पन्तवाड़ी नागटिब्बा मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण किये जाने,
16. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में जान्दरीखाल - रिंगालगड़ -दडक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
17. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी मे मालदेवता से घुत्तू गब्धक पानी मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
18. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में रायपुर क्यारा से भुत्सी गोठ धनौल्टी मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
19. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में बी0बी0 रोड़ से म्याणी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
20. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में खासकोटी से श्रीकोट मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

21. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के बनाली में जू0 हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

22. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के मंजगांव में जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

23. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के आनन्दचौक में हाई स्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

24. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के नकुरची में हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

25. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के सेब्दूल में जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

26. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के नेग्याणा में जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

27. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के सरतली में जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के भुट्गांव में जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

29. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के काण्डी में पम्पिंग योजना स्वीकृति किये जाने,

30. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में आनन्दचौक पम्पिंग योजना की स्वीकृति किये जाने,

31. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में बनाली पम्पिंग योजना की स्वीकृति किये जाने,

32. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में मोरियाणा पम्पिंग योजना की स्वीकृति किये जाने,

33. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में कटखेत पम्पिंग योजना की स्वीकृति किये जाने,

34. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में बगूण पट्टी पम्पिंग योजना की स्वीकृति किये जाने,

35. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में क्यारी सुरकण्डा- पालीगाड़ पम्पिंग योजना की स्वीकृति किये जाने,

36. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के थत्यूड़ में बालिका हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

37. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के नैनबाग में तहसील की स्वीकृति दिये जाने,

38. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के कमान्द में डिग्री कालेज की स्वीकृति दिये जाने,

39. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के कण्डीसौड़ में सी0एच0सी0 की स्वीकृति दिये जाने,

40. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के घुत्तू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दिये जाने,

41. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के बनाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दिये जाने,

42. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के सबली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दिये जाने,

43. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के कोठी मेहरुकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दिये जाने,

44. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के क्यारीपाली गाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दिये जाने,

45. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के ग्राम पोखरी में ए०एन०एम० सेन्टर की स्वीकृति दिये जाने,

46. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के बिरोड़ से बागयात होते हुये साजबागी से कण्डारी मोटर मार्ग की स्वीकृति दिये जाने,

47. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में नकोट - नेग्याणा मोटर मार्ग के 3 कि०मी० से नकोटचक भद्रीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

48. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के ग्राम पंचायत बिरोड में कन्या जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,

49. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के ग्राम घेराघोड़ खुरी से भद्रीसेरा तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

50. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में जाखधार से देवनघनसी तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,

51. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में बंगसील पालीगाड़ से चापड़ा नगुण मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने तथा

52. जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के जाखधार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।"

14. श्री चन्दन राम दास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. बागेश्वर जिले को विशेष पर्यटन सर्किट से जोड़े जाने,
2. बागेश्वर में सीवरलाईन हेतु धन आवंटित किये जाने,

3. बागेश्वर में नर्सिंग कालेज के लिए ठोस योजना बनाये जाने,
4. जनपद बागेश्वर के जनता जू0हा0 मिरार कोट को अनुदान सूची में जोड़े जाने,
5. जनपद बागेश्वर में इण्टर कालेज गागरी गोल व सिरकोट के प्रान्तीयकरण किये जाने,
6. जनपद बागेश्वर में उ0मा0वि0 असौ का उच्चीकरण किये जाने,
7. जनपद बागेश्वर में जू0हा0 गुरना का प्रान्तीयकरण व उच्चीकरण किये जाने,
8. बागेश्वर जिला अस्पताल को बेस अस्पताल का दर्जा दिये जाने,
9. एस0सी0पी0 में बागेश्वर की सड़कों की स्वीकृति किये जाने,
10. जनपद बागेश्वर में जिन्तोली, मढ़छेत का डामरीकरण किये जाने,
11. राज्य में बेरोजगारों को एक माह में रोजगार दिये जाने,
12. शहीद राम सिंह बोरा जू0 हा0 का प्रान्तीयकरण व उच्चीकरण किये जाने,
13. बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में जू0हा0 अयारतोली का उच्चीकरण व प्रान्तीयकरण किये जाने तथा
14. जनपद बागेश्वर में जू0हा0 जखेड़ा का उच्चीकरण व प्रान्तीयकरण किये जाने के संबंध में।"

15. श्री मदन कौशिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने,
2. प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान के संबंध में विशेष पैकेज की घोषणा किये जाने,
3. प्रदेश में किसानों के ऋण माफी किये जाने,
4. प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली देने,
5. प्रदेश में घरेलू/व्यवसायिक बिजली के बिलों को माफ करने,
6. प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने,
7. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग हेतु विशेष पैकेज की घोषणा किये जाने,

8. प्रदेश में नये नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों की घोषणा किये जाने,
9. प्रदेश में बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 को फ्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
10. प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने,
11. प्रदेश में संस्कृत को बढ़वा देने,
12. प्रदेश में संस्कृत विद्यालय खोलने,
13. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के लिए विशेष योजना बनाये जाने,
14. प्रदेश में संस्कृत भाषा में कार्य करने को बढ़ावा देने,
15. प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृतों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
16. प्रदेश में बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 परिवारों की कन्या हेतु एक मुश्त पचास हजार देने की घोषणा किये जाने,
17. प्रदेश के किसानो को सिंचाई हेतु ट्यूबवैल बिजली का फ्री कनैक्शन दिये जाने,
18. हरिद्वार में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना किये जाने,
19. हरिद्वार में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
20. हरिद्वार में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
21. हरिद्वार को कमिश्नरी बनाये जाने,
22. हरिद्वार में बरसाती पानी की निकासी के लिए योजना बनाये जाने,
23. हरिद्वार में श्री मंशा देवी की पहाड़ियों से हो रहे भूस्खलन को रोकने हेतु कार्य योजना बनाये जाने,
24. हरिद्वार शहर के उजाड़े हुए दुकानदारों को स्थापित किये जाने तथा
25. हरिद्वार नगर निगम को विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में।"

16. श्री अरविन्द पाण्डे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य शहर में एन एच 74 पर बाई पास बनाये जाने,
2. उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाले नमोशूद्र बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने,

3. जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा में बौर जलाशय व हरिपुरा जलाशय को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने,
4. जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में व्यापारी व किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नवीन किसान मण्डी को अन्य जगह बनाने,
5. पंजाबी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने,
6. जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब की स्थापना किये जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में बसने वाले बुक्सा जनजाति व सैनी समाज व पूर्वांचल पर्वतीय कम्बोज व अनुसूचित जाति के निर्धन लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान किये जाने,
8. जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दिनेशपुर नगर पंचायत को नगर पालिका तथा गुलरभोज को नगर पंचायत बनाने तथा
9. उधमसिंह नगर जिले के जलाशयों में लगभग पचास वर्षो से निवास करने वाले वासिन्दों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।''

17. श्री राजकुमार ठुकराल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में वर्षो से नजूल भूमि व कृषि योग्य भूमि पर आवासीय रूप से निवास कर रहे परिवारों को मालिकाना हक व पट्टे प्रदान किये जाने,
2. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में मैडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
3. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में कृषि कार्य की सरकारी भूमि तथा नगर पालिका क्षेत्र में शेष बची हुई नजूल भूमि को भूमाफियाओं से बचाये जाने,
4. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे वर्ग 4 की भूमि व अन्य वर्गो व श्रेणियों की भूमि के विवादित मामलें निपटाने हेतु भूमि सुधार आयोग गठित करने,
5. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में विधवा महिलाओं व बुजुर्गो को पेंशन देने तथा राशन कार्डो के निर्गत करने हेतु वार्ड स्तर व ग्राम सभा स्तर पर तहसील के कैम्प लगवाने,

6. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में नयी तहसील के निर्माण किये जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित किये जाने,
8. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में नगर महापालिका की स्थापना किये जाने,
9. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में रोजगार हेतु कॉल सेन्टर खोले जाने,
10. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में 74 खटीमा-पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम महेशपुर व ग्राम महतोष के मध्य स्थित भाखड़ा पुल के चौड़ीकरण किये जाने,
11. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में 74 खटीमा-पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम महतोष मोड़ से नबाबगंज गुरूद्वारे तक सड़क के चौड़ीकरण किये जाने तथा
12. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में 74 खटीमा-पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काशीपुर रोड़ से ग्राम भूरारानी धरमपुर होते हुये ग्राम छत्तरपुर तक सड़क के चौड़ीकरण किये जाने के संबंध में।''

18. श्री आदेश चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर में शिवालिक नगर को नगर पंचायत बनाने,
2. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर में शिवालिक नगर में शिवर लाइनों व पीने के पानी की लाइनों की खराब हालत का समाधान करने,
3. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर शिवालिक नगर में जर्जर सड़को का पुर्ननिर्माण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र से उद्योगों के जहरीले, गन्दे कैमिकल युक्त पानी के कारण फैलने वाली बिमारियों की रोकथाम करने तथा इससे फसलों के नष्ट होने के संकट का समाधान करने,
5. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत ज्वालापुर क्षेत्र में गंगनहर पर बने रेलवे पुल के बराबर में सुगम आवाजाही हेतु पुल का निर्माण कराये जाने,
6. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा पर बस स्टैण्ड बनाये जाने,

7. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत ज्वालापुर क्षेत्र में पीठ बाजार, चौक बाजार, मैन बाजार आदि मे बरसात में भारी जल भराव की समस्या का समाधान किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी०एच०ई०एल० अर्न्तगत कृपाल नगर (रावली महदूद) को शिवालिक नगर से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी०एच०ई०एल० अर्न्तगत गाँव रोशनाबाद में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण किये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी०एच०ई०एल० अर्न्तगत सुभाष नगर (सीतापुर) व राजा गार्डन, राज बिहार, गोपालधाम (जगजीतपुर), कृपाल नगर, रामधाम कालौनी (रावली महदूद) में जल निकासी सुविधा व सड़को का निर्माण किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी०एच०ई०एल० अर्न्तगत गाँव टिहरा व खाला टिहरा के बीच बरसाती खाले पर पुल निर्माण कराये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर बी०एच०ई०एल० अर्न्तगत ज्वालापुर चौक बाजार में स्थित सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र पर आवश्यक चिकित्सकों व अन्य स्टॉफ की नियुक्ति किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत बहादराबाद में बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था किये जाने,
14. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत बहादराबाद मे किडा स्थल बनाये जाने,
15. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत सिड़कुल क्षेत्र मे श्रमिकों के शोषण को रोकने के उपाय किये जाने,
16. प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्रों के बनाने की प्रकिया का सरलीकरण किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत सिडकुल मे 70 प्रतिशत स्थानीय श्रमिक/कर्मचारी रखने का कड़ाई से पालन करने,
18. जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विस्थापित टिहरी कालौनी व सुभाषनगर को हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडने हेतु गंगनहर पर पुल का निर्माण करने,
19. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर में पुर्नवास कालौनी विष्णुलोक से गन्दे व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने,

20. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर मे गाँव रोशनाबाद, गाँव रावली महदूद मे नये पेयजल नलकूप का निर्माण कराये जाने,
21. जनपद हरिद्वार अर्न्तगत भेल (रानीपुर) की पंचम आवसीय योजना को शीघ्र पूरा किये जाने,
22. जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीपुर स्थित शिवालिक नगर व भेल सेक्टर-3 के बीच नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
23. जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीपुर स्थित शिवालिक नगर मे एक ओर पेयजल नलकूप का निर्माण कराने,
24. जनपद हरिद्वार अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीपुर स्थित सुभाषनगर (सीतापुर) मे आबादी से गुजर रही हाई टैंशन बिजली लाइन को स्थानान्तरित किये जाने तथा
25. जनपद हरिद्वार अन्तर्गत बहादराबाद मे एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने के संबंध में।''

19. श्री पूरन सिंह फर्त्याल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में लिफ्ट पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने,
2. जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में रा0इ0का0 कर्णकरायत के भवन का निर्माण किये जाने,
3. जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के कोली ढेक में प्रस्तावित झील का निर्माण किये जाने,
4. जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के पाटी ब्लॉक मुख्यालय में डिग्री कालेज की स्वीकृति दिये जाने,
5. जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के सलना से काबाकोट 10 कि0मी0 कच्ची रोड का डामरीकरण किये जाने,
6. जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के कलचौड़ा कन्या जू0 हा0 का हाईस्कूल में उच्चीकरण किये जाने तथा
7. जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में इन्जीनियरिंग कालेज की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।''

20. श्री अजय भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाये जाने,
2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत छावनी परिषद के सिविल एरिया को नगर पालिका बनाये जाने,
3. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से एरोड़ तक मोटर मार्ग बनाये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से चौबटिया तक रज्जु मार्ग बनाये जाने,
5. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना-मटेला- मनिला सड़क निर्माण किये जाने,
6. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ज्याड़ी--पोखरी-बोहरागाव सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,
7. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिक्यासैन डिग्री कालेज के भवन का निर्माण किये जाने,
8. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत जालली-मासी, मजखाली एवं मछोड़ विकास खण्डों का निर्माण किये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिक्यासैण में एक महिला पालिटैक्निक खोले जाने,
10. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सुतनियां से बेल- नैकणा- बमन नौला एवं झड़गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
11. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सालय भिक्यासैण का उच्चीकरण किये जाने,
12. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत इण्टर कालेज विनायक का प्रान्तीकरण किये जाने,
13. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत गनियाद्यौलीर-सिगोली-अज्याड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने तथा
14. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत विनायक-रिखाड़-मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के संबंध में।"

21. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश से डोईवाला रेलवे लाइन का निर्माण के साथ-साथ राईवाला, श्यामपुर, हरिपुरकलां हाईवे पर बने ओवरब्रिज निर्माण किये जाने,
2. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में बसंतोत्सव को राज्य स्तर मेले की मान्यता देने तथा बजट का प्राविधान किये जाने,
3. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश की संजय झील को विकसित किये जाने,
4. जनपद देहरादून के अन्तर्गत बापूग्राम एवं पशुलोक, असेना डोबरा ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिये जाने,
5. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश के आस पास ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर-लाईन बिछाये जाने,
6. जनपद देहरादून के अन्तर्गत घरेलू गैस की सुचारू सुविधा दिये जाने,
7. जनपद देहरादून के अन्तर्गत हरिपुकलां, नेपालीफार्म-खैरी, आमबाग, गीता नगर, मालवीयनगर आदि क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाने,
8. जनपद देहरादून के अन्तर्गत जंगली जानवरो द्वारा जान-माल सुरक्षा एवं प्रभावितों हेतु मुआवजा राशि बढ़ाये जाने,
9. जनपद देहरादून के अन्तर्गत जंगल में हो रही जन-हानि के लिए गठित किये जाने,
10. जनपद देहरादून के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावितों को जान-माल हेतु मुआवजा राशि बढ़ाये जाने,
11. जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायवाला-प्रतीतनगर सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
12. जनपद देहरादून के अन्तर्गत गोहरीमाफी जाने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
13. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में पार्किंग व्यवस्था दुरूस्थ किये जाने,
14. जनपद देहरादून के अन्तर्गत मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण किये जाने,
15. मां गंगा की पवित्रता हेतु गंदे नालों की रोकथाम किये जाने,
16. प्रदेश के आन्दोलनकारियों को पेंशन एवं नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने,

17. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में एक और महाविद्यालय एवं एन0आई0टी0 की स्थापना किये जाने,
18. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने तथा
19. जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में एक प्रेक्षाग्रह का निर्माण किये जाने के संबंध में।"

22. श्री दिलीप सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड में भूमि बंदोबस्त व चकबंदी अनिवार्य रूप से लागू किये जाने एवं बंजर पड़े खेतों की खेती करने वाले भूमिहीन लोगों को निःशुल्क दीये जाने,
2. उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रभावशाली आपदा नीति बनाये जाने एवं वर्ष 2010 और 2011 में अतिवर्षा से हुई क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से बीस हजार करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक पैकेज की मांग किये जाने तथा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक पुलों, सड़कों, भवनों व उपजाऊ भूमि की पूर्ति किये जाने,
3. उत्तराखण्ड प्रदेश के विकास के लिये विशेषज्ञों की राय से प्रभावशाली जलनीति, वननीति और भूउपयोग नीति बनाये जाने,
4. उत्तराखण्ड प्रदेश में हिंसक जंगली जानवरों से प्रभावित पार्क क्षेत्र से सटे गांवों के ग्रामीणों का दस लाख का बीमा किये जाने साथ ही मुआवजे की धनराशि को वर्तमान से दस गुना बढ़ाया जाने,
5. उत्तराखण्ड राज्य के दोनों मण्डलों को जोड़ने वाली हरिद्वार-कोटद्वार-कालागढ़-रामनगर-नैनीताल मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित किये जाने,
6. उत्तराखण्ड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को उत्तराखण्ड में शामिल किये जाने,
7. उत्तराखण्ड प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों को अनुदान की श्रेणी में लाकर आर्थिक स्थिति को सुधारे जाने एवं इनका प्रान्तीयकरण कर विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीयकरण किये जाने,
8. उत्तराखण्ड प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों में दैनिक वेतनभोगी, संविदा और ठेका कर्मचारियों का राजकीयकरण किये जाने,

9. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन कैंट को भैरवगढ़ी पेयजल योजना से जोड़कर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा

10. उत्तराखण्ड प्रदेश की नदियों में चुगान की अनुमति देकर रोजगार के अवसर दिये जाने के संबंध में।''

23. श्री मालचन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में दैवीय आपदा से नदी, नालों व गदेरों से भूमि कटाव का उचित मुआवजा कास्तकारों को दिये जाने,

2. राज्य में बागवानी के लिए खाद, दवाई, बीज समस्त तकनीकी यंत्रों एवं पेटियों पर सब्सीडी दिये जाने,

3. राज्य में सेब बागवानों को हिमाचल की तर्ज पर समर्थन मूल्य दिये जाने,

4. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में वन्यजीव विहार क्षेत्र में सड़कों, पुलों, पेयजल एवं मार्गों के निर्माण के संस्तुति देने में शिथिलता दिये जाने,

5. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में पर्वतीय क्षेत्र में नगदी फसलों को सुरक्षित करने हेतु शीतगृह बनाने एवं फसलों का निर्धारित मूल्य काश्तकारों को दिये जाने,

6. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला विकास खण्ड मोरी के आराकोट- बगाण व नैट्वाड़-शांकरी को दूरसंचार से जोड़े जाने,

7. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में स्वास्थ्य केन्द्र को पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 तथा आराकोट, जखोल, शांकरी, नैट्वाड़-पिताड़ी, लिवाड़ एवं विकास खण्ड नौगांव के धारी कलोंगी को पी0एच0सी0 करने,

8. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के कल्याण, भूराणूं सेवा, छड़वाड़ी-भूराणू- किराणू-दुयाणूं पोखरी पिताड़ी खड़ेमी क्षेत्रों में से कास्तकारों की नगद फसलों को उतारने के लिए रोपवे लगाने,

9. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड नौगांव में उचित समय पर पहुंचाने के लिए आवश्यक वाहन या मिनी मण्डी का निर्माण क्रय- विक्रय केन्द्र खोले जाने,
10. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड नौगांव के स्यूरी में बागवानी हेतु रोपवे-सड़क निर्माण किये जाने,
11. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड नौगांव मोरी-पुरोला-नैटवाड़, नौ गांव,बस स्टैंड का निर्माण करने,
12. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में आर्टर्स एवं साइंस महाविद्यालय खोले जाने,
13. देहरादून क्षेत्र में भेड़ पालकों के लिए आवश्यक चरान चुकान हेतु साल के जंगल खोल दिये जाने,
14. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में मोरी ठडियार बिन्द्री भरातरा-वेगल आदि से होकर मोटरमार्ग खोले जाने,
15. जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास एवं रोजगार सृजन हेतु पर्यटन स्थल हरकी दून, केदार काण्ठ, देववन, चौगसील, मनीश, सरताल भवस्सर-देववशरा विणासु को पर्यटन मानचित्र में दर्शाकर उपरोक्त स्थलों के सुलभ आवागमन हेतु रोपवे एवं हवाई पट्टी से जोड़े जाने,
16. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के पर्वतीय क्षेत्र में शाकरी, आराकोट, परोला, मोरी, जखोल, दौणी-फिवाणी, धारी, क्लोगी-नौगांव-मुलाणां में छोटे होलीपैड न किये जाने,
17. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में रामासिंराई में कास्ताकारों के लिए अति आवश्यक लिफ्ट योजना बनाये जाने,
18. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव मुलाणा में मिनी स्टेडियम बनाने,
19. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में पोलिटेक्निक कालेज खोले जाने,
20. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में रा0इ0का0 नौटवार, गुटियार गांव, मोरी, डुडोली में भवन निर्माण कराये जाने,

21. राज्य में चार धाम यात्रा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डामरा-नौगांव-नैनबाड़, शाकरी पुरोला-हरकी दून में यात्री शेड एवं शुलभ शौचालय बनाये जाने,

22. जड़ी बुटियों के काश्तकारों को लघु उद्योग का दर्जा दिये जाने।

23. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में नौरवाड़ में ऊनकाडिंग प्लान्ट एवं ऊन मण्डी का निर्माण किये जाने,

24. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के साकरी, औराला, जखौल, फिताड़ी- लिवाड़ी सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,

25. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में पुरोला- वडियार मार्ग को निर्माण किये जाने,

26. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के मोरी विकास खण्ड में अग्नि दुर्घटना को रोकने हेतु फायर स्टेशन एवं उचित मुआवजा दिये जाने,

27. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के बैरवाड़ दणगण गांव, गैचाण गांव, सुचाण गांव, देवना पेयजल लिफ्ट योजना बनाये जाने,

28. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में कण्डारी रा0इ0का0 खोले जाने,

29. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के बौगांव में महाविद्यालय खोले जाने तथा

30. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के नैगांव नुलाणा में फलमण्डी खोले जाने के संबंध में।"

24. श्री अजय टम्टा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में पुनर्गठन कर सोमेश्वर मजखाली एवं जालली सहित 30 नए विकास खण्डों का निर्माण किये जाने विषयक विधान सभा में सर्वसम्मति से पारित सरकारी संकल्प पर की गई कार्यवाही,

2. प्रदेश में चल रहे कृषि महाविद्यालय व कृषि विद्यालय जैसे विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में 25 वर्षों से संचालित विजयपुर पटिया कृषि विद्यालय के सुदृढ़ीकरण होने,

3. प्रदेश में वर्ष 2010 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा से भारी क्षति होने,

4. राज्य में नगदी फसलों, जड़ीबूटी एवं चाय के उत्पादन बढ़ाने, कौशानी, सोमेश्वर, चम्पावत के चाय बागानों में कार्य कर रहे कर्मियों के कल्याण व चाय बागान हेतु भूमि दाताओं के कल्याण किये जाने,

5. जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में किसानों की सुविधा हेतु ट्यूबवेल, हैण्डपम्प की स्थापना किये जाने,

6. जनपद अल्मोड़ा में कृषि उत्पाद के विपणन एवं यातायात के साधन जैसे रोपवे की सुविधा के साथ एक करोड़ की लागत से वर्ष 2002 में प्रारम्भ एवं तथा वर्ष 2004 में बन्द हुए मटेला (हवलबाग) शीतगृह के संचालन होने,

7. जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत विधान सभा सोमेश्वर में मनान में पिछले कई वर्षों से मत्स्य प्रजनन केन्द्र के संचालन एवं उच्चीकरण किये जाने,

8. जनपद अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधान सभा क्षेत्र में देवलीखान क्षेत्र में 1500 परिवारों की आजीविका के विकास हेतु बैम्बो, रिंगाल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करने,

9. जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में रेशम उत्पादन में लगे किसानों को प्रोत्साहन दिये जाने,

10. प्रदेश में सिंचाई को पूर्णरूप से विकसित करने हेतु पर्वतीय कृषि क्षेत्र में विशेष सिंचाई योजना बनाये जाने,

11. प्रदेश में अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र/ छात्राओं को दीर्घकालिक ब्याज मुफ्त ऋण दिये जाने,

12. प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में लम्बे समय से संविदा पर कार्यरत प्रवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण व उनकी स्थाई नियुक्त किये जाने,

13. प्रदेश में उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं विधि शिक्षा प्राप्त कर चुके युवा बेरोजगारों हेतु रोजगार सृजित करने,

14. प्रदेश में कुटीर उद्योग, छपाई, बुनाई-कताई, काष्ठ कला भवन निर्माण में लगे कर्मियों तथा शिल्पकार, ताम्रकार के लिये विशेष योजना बनाने,

15. प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र में कच्चा माल आधारित मैग्नेसाइट, डोलामाइट, खड़िया पत्थर, रामबास रिंगाल, चूना पत्थर, पीरूल, लीसा जैसे अन्य आधारित उद्योग का विकास करने,

16. जनपद अल्मोड़ा में दौलाघाट क्षेत्र में पूर्व से प्रस्तावित आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने तथा

17. पूर्व में पूरे प्रदेश में प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकृत किये विद्यालयों के साथ विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में इण्टर कालेज सलोज, झिपुल चौरा का प्रान्तीयकरण/ उच्चीकरण न किए जाने के संबंध में।"

25. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत घुघती-कैलानी मसमोली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत पत्थर खोला - महर गांव मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
3. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मरचूला- भिक्यिासैंण मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
4. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मुनहड़ा-भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
5. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत पैंशिया- गड़कोट मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
6. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत नौकुचिया- देवीखाल मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
7. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत कड़पतिया- गुलार- भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
8. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत कालीगांव- मनहैत मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत देघाट- वैरासी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
10. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत रुचिया खाल तल्ला- मल्ला कन्डुपी- सराईखेत मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

11. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत तुरखौरा- भैसोणा- शीली- तोलबुधानी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
12. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत क्वैराला-डबरा मार्ग का निर्माण किये जाने,
13. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सराईखेत - चक्करगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
14. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत वलमरा- सराईखेत मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
15. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्यालदे एवं मछोड़ में तहसील की स्थापना किये जाने,
16. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत महाविद्यालय स्यालदे व महाविद्यालय मानिला को पूर्ण पी0जी की मान्यता दिये जाने,
17. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत तल्ला सल्ट व सराईखेत में नए महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने,
18. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मछोड़ में शव पावर स्टेशन की स्थापना किये जाने,
19. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल वलमरा तामाढौन, आनन्द महाविद्यालय डुंगरी व इण्टर कालेज मछोड़, नैवल गांव व बनौली का प्रान्तीकरण तथा टिटरी गुरना को वित्तीय मान्यता दिये जाने,
20. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र मानिला का उच्चीकरण किये जाने,
21. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र देघाट, स्यालदे व देवायल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन व पोस्टमार्टम गृह की स्थापना किये जाने,
22. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत खल्डूवा, मटेला व पातल पर पुलों का निर्माण किये जाने,
23. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मोलेखाल देघाट -सराईखेत में सेवायोजन कार्यालयों की स्थापना किये जाने तथा
24. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे , देघाट, मौलेखाल व तल्ला सल्ट में खेल स्टेडियम की स्थापना किये जाने के संबंध में।"

26. श्री गणेश जोशी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद देहरादून में स्थित पहाड़ो की रानी मसूरी जो पर्यटन मानचित्र पर अवस्थित है, के लिए विकास की योजना होने,
2. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में मसूरी नगर को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिये जाने,
3. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में मसूरी क्षेत्र के चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं चिकित्सालयों में मानको के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती किये जाने,
4. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवास निर्माण प्रतिबंधित किये जाने पर गरीब स्थानीय क्षेत्रवासियों के लिए आवास स्थापना करने,
5. प्रदेश के पूर्व सैनिको एवं उनके आश्रितों के लिए आवास योजना बनाये जाने,
6. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी अन्तर्गत गढ़ी कैन्ट, नीलकण्ठविहार, पथरियापीर, मानसिंह वाला आदि क्षेत्रों में सीवर लाइन की स्थापना किये जाने,
7. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी अन्तर्गत पुरकुल से हाथीपांव के लिए रोप-वे का निर्माण किये जाने,
8. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में मसूरी शहर के लिए कोई दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाने,
9. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में रा0उ0मा0वि0, बुरासखण्डा के उच्चीकरण किये जाने,
10. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में मसूरी वासियों के लिए कोई रोजगारपरक योजना बनाने,
11. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में विधवा महिलाओं, बुजुर्ग एवं विकालांग पेंशन तथा राशन कार्ड बनाने हेतु वार्ड/ग्राम स्तर पर शिविर लगाने,
12. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में क्यारा से धनोल्टी चामासारी से पटरानी दौंक, मालदेवता से बौंठा तिमलीमानसिंह तथा पी0पी0सी0एल0 कांटे से गढ़ तक सड़क निर्माण किये जाने तथा
13. जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी में चामासारी एवं आस पास के गांवों के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के संबंध में।"

27. श्री राजेश शुक्ला

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत किच्छा परगनाधिकारी कार्यालय को किच्छा तहसील प्रांगण में स्थापित कर परगनाधिकारी किच्छा नियुक्त किये जाने,
2. जनपद उधमसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र किच्छा में आवासहीनों एवं भूमिहीनों को आवासीय पट्टे एवं आवास दिलाने एवं भूमिहीनों को कृषि भूमि दिलाने हेतु किच्छा तहसील में कार्यवाही शुरू किये जाने,
3. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत किच्छा शहर के बीच से गौला नदी को जाने वाली सड़क हरिद्वार-दिल्ली राजमार्ग पर पिपलिया चौराहे पर पुल निर्माण किये जाने,
4. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर सिड़कुल की स्थापना होने से बेघर हुए मजदूर एवं कर्मचारियों को आवासीय भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने,
5. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत किच्छा तहसील का विभाजन कर रूद्रपुर नई तहसील बनाये जाने,
6. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत किच्छा एवं पंतनगर में सीवर लाईन का निर्माण कराकर शहर की जल निकासी का उचित प्रबन्ध किये जाने,
8. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में जलाश-चौराडाम से निकलने वाली नहरें एवं गोला नदी द्वारा किच्छा तहसील के ग्रामों एवं शहर के भूकटाव पर रोक लगाने हेतु पीचिंग का निर्माण कर सभी गूलों , नहरों व नदियों की पीचिंग कराकर जल का क्षरण रोकने का कार्य किये जाने,
9. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में आवासहीन व भूमिहीन गरीबों को राज्य सरकार केन्द्रीय तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी इन्दिरा आवास जैसी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी आवास बनाये जाने तथा
10. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में वर्ग 4 की भूमि व नजूल भूमि पर मालिकाना हक/ फ्रीहोल्ड करने हेतु कब्जे के दिनांक के समय का सर्किल रेट वसूलने के संबंध में।"

28. श्रीमती विजय बड़थ्वाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में पेयजल एवं सिंचाई की कमी को दूर करने के लिए गडेरागाड एवं थल नदी में झील का निर्माण किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में पेयजल की समस्या के निदान हेतु जुलेडी, सिगोली, महली पेयजल पम्पिंग योजना हेतु धन स्वीकृत करने,
3. राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाली कच्ची सड़कों एवं मोटर पुलों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने,
4. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में ग्राम पंचायतों के गठन में उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आबादी से नहीं क्षेत्रफल के अनुसार करने,
5. सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए न्यायोचित स्थानान्तरण नीति के प्रभावी रूप से राज्य में लागू करने,
6. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
7. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के चरक डांडा (चरेख) में जड़ी-बूटी शोध संस्थान एवं आयुष ग्राम की स्थापना करने,
8. जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर में (एस0डी0एम0) उप जिलाधिकारी के पद सृजन करना एवं नियुक्ति करने,
9. कोटद्वार जिले का अतिशीघ्र गठन एवं जिला स्तरीय कार्यालयों की दुगड्ड एवं डांडामडी, कांडाखाल में भवन निर्माण करने,
10. लक्ष्मणझूला, दुगड्डा राज्य मोटर मार्ग को ए0डी0बी0 से चौड़ीकरण, सुधारीकरण एवं डामरीकरण करने,
11. उत्तराखण्ड के समस्त विकास खण्डों में मिनी स्टेडियमों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने,
12. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के भूस्खलन से प्रभावित ग्रामों कसाण, भूमियासार, दऊ, पुलिन्डा, बड़कोट आदि गांवों को विस्थापित प्राथमिकता से करने,
13. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में प्राथमिक, माध्यमिक एवं इण्टरमीडिएट तक के विद्यालयों में जुलाई माह तक सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति करने तथा
14. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में बाढ़ प्रभावित गांवों में बाढ़ सुरक्षा के कार्य करने के संबंध में।"

29. श्री भीम लाल आर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित घनसाली विधान सभा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने,
2. चारधाम यात्रा की दृष्टि से जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मोटर मार्गों, पौराणिक सिद्धपीठों, मन्दिरों, चौराहों का सौन्दर्यीकरण व सुलभ शौचालयों तथा विभिन्न घाटों/संगम स्थलों का निर्माण किये जाने,
3. टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित व विकट भौगोलिक परिस्थितियों से घिरी जनपद- टिहरी गढ़वाल की सीमान्त व सबसे बड़ी तहसील घनसाली को जिला बनाये जाने,
4. जनपद टिहरी के अन्तर्गत घनसाली को नगर पंचायत घोषित किये जाने,
5. जनपद टिहरी के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार नाथ को पांचवा धाम घोषित किये जाने,
6. जनपद टिहरी के अन्तर्गत पर्यटन व तीर्थाटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सहस्त्रताल, महासर ताल, पांवली कांठा, खतलिंग ग्लेशियर, जगदीशीला, केमुन्डाखाल, हठकुणी सौंड, क्यरकी आदि बुग्यालों के समुचित विकास हेतु वृहद कार्य योजना व कियान्वयन किये जाने,
7. जनपद टिहरी के अन्तर्गत घनसाली विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन व तीर्थाटन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत, उत्तराखण्ड के आर्थिक व औद्योगिक, शैक्षिक सर्वांगीण विकास हेतु केमुण्डाखाल, माँ राजराजेश्वरी मन्दिर- चूलागढ़ (बासर), खतलिंग ग्लेशियर, पांवली कांठा, माणिकनाथ, माँ ज्वालामुखी, बूढ़ा केदार नाथ, बेलेश्वर महादेव, माँ दूधाधारी, नैलचामेश्वर, जगदीशीला, कटकेश्वर महादेव, फेन्डेश्वर महादेव कगरछयात जैसे पौराणिक सिद्धपीठों आदि को विश्व मानचित्र पर इंगित किये जाने,

8. प्रदेश के महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी, कवियों आदि की स्मृति में विभूति संगम 'स्मारक' की स्थापना किये जाने,
9. जनपद टिहरी के अन्तर्गत घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने,
10. जनपद टिहरी के अन्तर्गत सबसे बड़े विकास खण्ड-भिलंगना का पुर्नगठन कर नवीन "बालगंगा" विकास खण्ड का सृजन किये जाने,
11. प्रदेश के निवासियों को जल, जंगल, जमीन व उठान, चुगान कटान पर हक हकूक दिये जाने,
12. जनपद टिहरी के अन्तर्गत तहसील-घनसाली में जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय हेतु "सिविल जज जूनियर डिवीजन" (मुसिफ कोर्ट) की स्थापना की जाए,
13. जनपद टिहरी के अन्तर्गत मोटर मार्ग विहीन अति दुर्गम गांव, लोदस, आर्स, नैक्चाडा, डम कोट (गोनगढ़), मैकोट, वाड अणुवा, तुगाणा, (आरगढ), खोला, नौली, पट्टुडगांव, कुण्डी वणसू (केमर), पिनस्वाड, गेंवाली (थाती कठूड) व गेंवली, कोठरा, बुढ्वां, सौड, तैणी, समण गांव, देवज, बाजिंगा गंगी, कोठार (भिलंग), द्वारी, बौसला, वनचुरी, कोठी फैगूल, पोनी, स्यूरा, बछणगांव, (बासर), सितोस (ग्याहर गांव), डावसौड (विलचामी) में मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
14. जनपद टिहरी के अन्तर्गत स्यूरी, खभोगी, बुरैल्हा, खोला, नौली, पेयजल योजना का निर्माण,
15. जनपद टिहरी के अन्तर्गत बाल गंगा-गोनगढ पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
16. जनपद टिहरी के अन्तर्गत घनसाली विधान सभा क्षेत्र के मध्य राजकीय इन्टर कालेज-घुमेटीधार को माडल इन्टर कालेज बनाये जाने,

17. जनपद टिहरी के अन्तर्गत घनसाली विधान सभा क्षेत्र के समस्त मोटर मार्गों व लिंक मार्गों का चौडीकरण व डामरीकरण किये जाने,
18. जनपद टिहरी के अन्तर्गत घनसाली विधान सभा क्षेत्र के विद्युतविहीन समस्त गांवों, बसावटों, तोकों व बस्तियों का विद्युतीकरण किये जाने,
19. जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र पिलखी व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर का वृहद विस्तारीकरण व आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सृजन किये जाने,
20. जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र का एक मात्र उच्च शिक्षा केन्द्र "बाल गंगा महाविद्यालय" को हाईटेक महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने,
21. प्रदेश में बंजर भूमि पर कृषि की कार्य योजना व क्रियान्वयन किये जाने,
22. जनपद टिहरी के अन्तर्गत स्वच्छ, साक्षर, हरित, घनसाली विधान सभा क्षेत्र हेतु कार्ययोजना व क्रियान्वयन किये जाने,
23. जनपद टिहरी के अन्तर्गत टिहरी बांध परियोजना के तहत घोन्टी, पिपोली पुल का शीघ्र निर्माण किये जाने,
24. जनपद टिहरी के अन्तर्गत टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित घनसाली विधान सभा क्षेत्र के गांवों का समुचित पुर्नवास किये जाने,
25. जनपद टिहरी के अन्तर्गत घनसाली विधान सभा क्षेत्र के समस्त अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मलित किये जाने,
26. जनपद टिहरी के अन्तर्गत लाटा-राजगांव झूला पुल का निर्माण किये जाने,

30. श्री वंशीधर भगत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में सशक्त लोकायुक्त की स्थापना हेतु विधान सभा में पारित लोकायुक्त विधेयक को केन्द्र सरकार से मंजूरी दिलवाने,
2. जनपद नैनीताल में जमरानी बांध का निर्माण निश्चित समयावधि में पूर्ण किये जाने,
3. प्रदेश में पैट्रोल और डीजल पर वैट समाप्त किये जाने,
4. प्रदेश करे विशेष औद्योगिक पैकेज को केन्द्र सरकार से बहाल करवाने तथा विशेष राज्य के दर्जे के अनुरूप 90:10 के अनुपात में सहायता दिये जाने,
5. उत्तराखण्ड राज्य की स्थाई राजधानी की घोषणा किये जाने,
6. राज्य में 24 घंटे निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति बनाये रखने,
7. राज्य के अति दुर्गम स्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिये अलग से नीति बनाये जाने,
8. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कालाढूंगी में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
9. जनपद नैनीताल अन्तर्गत दमुवाढूंगा को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
10. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कोटाबाग में मंडी का निर्माण किये जाने,
11. जनपद नैनीताल अन्तर्गत हल्द्वानी-कालाढूंगी मोटर मार्ग को टू लेन किये जाने,
12. जनपद नैनीताल अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण/**निष्प्रयोज्य** अनुसूचित छात्रावास धर्मपुर लाज भवन, मल्लीताल, नैनीताल को जनहित में शीघ्र खाली किये जाने,
13. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कालाढूंगी विधान सभा क्षेत्र में दैवीय आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुये मार्गों का पुर्ननिर्माण किये जाने,
14. नैनीताल जनपद के उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को शीघ्रता से चिन्हीकरण कर, उन्हें पेंशन की स्वीकृति देने,
15. जनपद नैनीताल अन्तर्गत शिव मन्दिर कालाढूंगी में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
16. जनपद नैनीताल अन्तर्गत चित्रेश्वर मन्दिर, रानीबाग एवं धार्मिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, प्रतापगढ़ी, रानीबाग में भू-कटाव को रोकने हेतु यथाशीघ्र चहारदीवारी कराये जाने,
17. जनपद नैनीताल अन्तर्गत चित्रेश्वर धाम, रानीबाग में विश्राम घर का निर्माण कराये जाने,
18. जनपद नैनीताल अन्तर्गत काठगोदाम से भद्यौनि हेडी मार्ग का निर्माण कराये जाने,

19. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कोटाबाग महाविद्यालय की भूमि विवाद का निस्तारण किये जाने,
20. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कोटाबाग महाविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में,
21. जनपद नैनीताल अन्तर्गत दो नहरिया से कठघरिया नहर को कवर कर सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने,
22. जनपद नैनीताल अन्तर्गत हल्द्वानी ब्लाक के कालाढूंगी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान किये जाने,
23. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कालाढूंगी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नये नलकूप लगाये जाने,
24. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कालाढूंगी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु नये नलकूप मय ओवर हैड टैंक का निर्माण किये जाने,
25. जनपद नैनीताल अन्तर्गत कालाढूंगी में स्वीकृत गैस गोदाम बनाये जाने,
26. जनपद नैनीताल अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज कालाढूंगी के भवन निर्माण कराये जाने,
27. जनपद नैनीताल अन्तर्गत रामपुर रोड हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी के नुकसान से बचने हेतु जंगल के किनारे दीवार बनाने जाने तथा
28. जनपद नैनीताल अन्तर्गत हल्द्वानी में आई०एस०बी०टी० की भूमि हस्तानान्तरण हेतु केन्द्र सरकार के स्वीकृति दिलाये जाने के संबंध में।